विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्याः**136**/वि0स0/संसदीय/**17(सं)/2022**
लखनऊ : **12 मार्च, 2022**

प्रेषक,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः-उत्तर प्रदेश की **सत्रहवीं** विधान सभा के विघटन का प्रभाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ हुआ है कि उत्तर प्रदेश की **सत्रहवीं** विधान सभा का दिनांक **11 मार्च, 2022** से विघटन हो जाने के फलस्वरुप, भूतपूर्व मा0 सदस्यों की ऐसी समस्त सूचनायें, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51, 52, 56, 63/64, 300, 301 तथा 311 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (**पन्द्रहवां** संस्करण) के निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थीं, अब व्यपगत हो गयी हैं। इनके अतिरिक्त समस्त प्रकीर्ण सूचनायें, प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, प्रश्न और विधेयक, जो उक्त विधान सभा के विघटन के समय उसके समक्ष लम्बित थे अथवा सूचनावस्था में थे, व्यपगत हो गये हैं।

उक्त विधान सभा के उन सदस्यों की, जो विभिन्न समितियों, परिषदों तथा निकायों आदि में विधान सभा के सदस्य की हैसियत से निर्वाचित या नामांकित किये गये थे, सदस्यता भी, जब तक कि सम्बन्धित अधिनियम, नियम या आदेश में अन्यथा उपबन्धित न हो, समाप्त हो गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आवश्यकतानुसार उक्त समितियों, परिषदों तथा निकायों आदि में नवीन निर्वाचन अथवा नामांकन कराने हेतु प्रस्ताव इस सचिवालय को यथा समय भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्याः**136**(1)/वि0स0/संसदीय/**17(सं)/2022**, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
2. उ0 प्र0 विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

(अरविन्द पाठक)
संयुक्त सचिव।